न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 122/2020 (2020/00.....) दर्ज दिनांक 21.08.2020
वाद– अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. भंवरसिंह गोदपुत्र नारायणसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादी

बनाम

1. गुलाब कंवर पुत्री सोहनसिंह राजपूत पत्नी विजयसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवास रेवाड़ा तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़ (राज0)
2. नरपत कंवर पत्नि भंवरसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. पुष्पा कंवर पुत्री सोहनसिह राजपूत पत्नि भगवानसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवास रेवाड़ा तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़ (राज0)
4. फुल कंवर पुत्री सोहनसिंह राजपूत पत्नि नाहरसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवास रेवाड़ा तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़ (राज0)
5. सीता कंवर पुत्री बहादूरसिंह राजपूत पत्नि भंवरसिंह राजपूत निवासी सल्यावडी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवास नारेला तहसील चितौडगढ जिला चितौड़गढ़ (राज0)
6. भंवर कंवर पुत्री बहादूरसिंह राजपूत पत्नि शंकरसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवास कुण्डालिया (भोपालपुरा) तहसील बस्सी जिला चितौड़गढ़ (राज0)
7. प्रेम कंवर पत्नि बहादूरसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. बालूसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. शिवसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. शंकरसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. लक्ष्मण कंवर पत्नि रायसिंह राजपूत निवासी बाघपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. गजराज कंवर पत्नि नारायणसिंह राजपूत निवासी हाथीपुरा (भगवानपुरा) तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा (राज0)
13. कृष्णा कंवरि पत्नि पुरणसिंह राजपूत [illegible] कबराडिया (भगवानपुरा) तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा (राज0)
14. विष्णु कंवर पत्नि भवानीसिंह राजपूत [illegible] महेन्द्रगढ तहसील [illegible]डा जिला भीलवाड़ा (राज0)
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

1.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीः–श्री गणपत राणवा
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः–श्री हेमन्द्र सुवालका
पेरोकार सरकार

वाद पत्र बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

दिनांक 31.08.2020

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीयागण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम सल्यावड़ी, पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी के खाता संख्या 190 पर अंकित आराजी संख्या 524 रकबा 1.84 हे0, 525 रकबा 0.26 हे0, 526 रकबा 0.14 हे0, 531 रकबा 0.15 हे0, 532 रकबा 0.35 हे0, 533 रकबा 0.64 हे0, 534 रकबा 0.90 हे0, 544 रकबा 0.24 हे0, 546 रकबा 0.62 हे0, 547 रकबा 0.54 हे0 कुल किता 10 योग रकबा 5.68 हे0 भूमियां खातेदार नारायणसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत व अन्य सहखातेदार के नाम पर दर्ज रेकार्ड है, प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है।

यह कि नारायणसिंह के परिवार का सजरा इस प्रकार हैः–

सोहनसिंह राजपूत

- नारायणसिंह
  - भंवरसिह वादी (गोदपुत्र)
- बालूसिंह
- बहादूरसिंह
  - प्रेमकंवर (पत्नि)
  - सीता (पुत्री)
  - भंवरकंवर (पुत्री)
- पुष्पाकंवर
- गुलाबकंवर
- फुलकंवर
- हेमकंवर
  - शिवसिंह (पुत्र)
  - शंकरसिंह (पुत्र)
  - लक्ष्मणकंवर (पु[illegible])
  - गजराज कंवर ([illegible])
  - कृष्णा कंवर ([illegible]त्री)
  - विष्णु कंवर (पुत्री)

यह कि खातेदार नार[illegible] अविवाहित थे एवं अविवाहित की दशा में ह[illegible] को देहान्त हो गया है। वादी भंवरसिह खातेदार श्री नारायणसिंह का सगा [illegible]तीजा हैं एवं आपस में खून का रिश्ता होने से बचपन से ही नारायणसिंह का वादी भंवरसिंह से अत्यधिक लगाव एवं स्नेह था। जिससे आज से करीब 22 वर्ष पूर्व ही समाज के लोगों व परिवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:10 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

वालों की उपस्थिति में श्री नारायणसिंह ने वादी भंवरसिंह के प्राकृतिक माता –पिता की उपस्थिति एवं सहमति से वादी भंवरसिंह के सिर पर हाथ रखकर, गुड़ नारियल बंटवाकर वादी को गोदपुत्र स्वीकार कर लिया है तब से ही वादी , श्री नारायणसिंह का पुत्र बनकर उनके ही साथ निवास कर रहा है एवं उनकी सेवा चाकरी खेतीबाड़ी आदि वादी ही करता चला आ रहा है।

यह कि श्री नारायणसिंह वादी को बचपन से ही गोदपुत्र स्वीकार कर लिया था एवं वादी के पक्ष में दिनांक 09.11.2017 को अपनी स्वतंत्र इच्छानुसार गोदनामा का स्टाम्प क्रय कर उस पर गोदनामा की लिखापढ़ी करवायी थी एवं उस पर दो समाज के मौतबिर गवाहन भगवतसिंह एवं भंवरसिंह के हस्ताक्षर करवाये है। इस स्टाम्प के जरिये भी वादी को श्री नारायणसिंह ने अपना गोदपुत्र स्वीकार किया है।

यह कि वादी भंवरसिंह ने अपने गोद पिता श्री नारायणसिंह सेवा पुत्रवत ही की है एवं पुत्र के समस्त दायित्वों का निर्वहन किया है। श्री नारायणसिंह की मृत्यु उपरान्त समस्त क्रियाकर्म, पिण्डदान, सामाजिक कार्यक्रम आदि वादी भंवरसिंह ने ही किया है एवं समाज में भी श्री नारायणसिंह की मृत्यु के बाद वादी को पगड़ी बंधवायी गई जिससे समाज में वादी को श्री नारायणसिंह को गोदपुत्र मान लिया गया है। एवं वादी इस आधार पर भी गोदपुत्र हैं एवं खातेदार घोषित कराये जाने की डिक्री पाने का विधिक अधिकारी है।

यह कि श्री नारायणसिंह का दिनांक 10.01.2018 को देहान्त हो गया है तथा उसके हिस्से की समस्त आराजियात पर श्री नारायणसिंह के साथ रहकर वादी बहैसियत गोदपुत्र काबिज होकर काश्त लाभ ले रहा है। श्री नारायणसिंह की मृत्यु के बाद गोदपुत्र होने के नाते वादी के नाम पर जमीनों का नामान्तरण खोला जाना चाहिए। किन्तु अभी तक जमीनों के नामान्तरण वादी के पक्ष में नहीं खोले जाने से वादी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिससे वादी को उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

यह कि वाद कारण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 18.08.2020 को पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या पंद्रह ने उक्त भूमियों का नामान्तरण वादी के पक्ष में निर्णित करने से मना कर दिया तब से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अतः सादर प्रार्थना हैं –

कि वादी श्री नारायण[illegible] राजस्व ग्राम सल्यावड़ी, पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा के [illegible]का आबादी के खाता संख्या 190 पर अंकित आराजी सं[illegible] 0.26 हे0, 526 रकबा 0.14 हे0, 531 रकबा 0.15 हे0, 532 र[illegible] 0.35 हे0, 533 रकबा 0.64 हे0, 534 रकबा 0.90 हे0, 544 रकबा 0.24 हे0, 54[illegible] रकबा 0.62 हे0, 547 रकबा 0.54 हे0 कुल किता 10 योग रकबा 5.68 हे0 भू[illegible]ों में से 13/42 वें हिस्से का नामान्तरण अपने नाम पर खुलाये जाने का विधिक अधिकारी एवं खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

कि घोषणा की डिक्री वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे कि वादी के पक्ष में श्री नारायणसिंह द्वारा गोदनामा लिखाया गया है एवं समाज में भी गोदपुत्र स्वीकार किया है जिससे जमीनों का नामान्तरण वादी के पक्ष में खोला जाना कानुनन आवश्यक है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 21.08.2020 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 14 स्वयं उपस्थित उनके अधिवक्ता उपस्थि। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 स्वयं उपस्थित होकर वाद वर्णित आराजियात वादी भंवरसिंह के नाम पर दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जाहिर कर वाद पत्र का जवाब पेश किया जो निम्न प्रकार है:–

यह कि वाद की कलम संख्या 1 राजस्व रेकार्ड से संबंधित होकर स्वीकार है।

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 में परिवार का सजरा वर्णित है जो सही होकर स्वीकार है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 3 का जवाब हैं कि नारायणसिंह पिता सोहनसिंह अविवाहित ही दिनांक 10.01.2018 को फौत हो गये थे। एवं भंवरसिंह, नारायणसिंह का सगा भतीजा होकर उनसे काफी लगाव था। जिससे भंवरसिह को करीब 22 वर्ष पूर्व नारायणसिंह ने समाज एवं भंवरसिंह के प्राकृतिक माता – पिता के समक्ष गोदपुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। एवं तब से भंवरसिंह ही उनकी सेवा करते रहे है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 4 का जवाब हैं कि नारायणसिंह ने भंवरसिंह को बचपन में ही गोदपुत्र रख लिया था। एवं दिनांक 09.11.2017 को उन्होंने गोदनामा भंवरसिंह को गोदपुत्र रखने बाबत् लिखवाया था । एवं मौतबिरान के हस्ताक्षर साक्ष्य के रूप में करवायें थे।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 5 स्वीकार है। भंवरसिंह ने ही नारायणसिंह के जीवनकाल में एवं उनकी मृतयुपरांत एक पुत्र के सभी दायित्वों का निर्वहन किया है। तथा नारायणसिंह की [illegible] करते रहे है। नारायणसिंह के नाम दर्ज समस्त आराजियात भंवरसिंह [illegible] कर दी जावें तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 6 स्वीकार है। नारायणसिंह के हिस्से की जमीनों पर भंवरसिह काबिज होकर काश्त लाभ ले रहे है। नारायणसिंह की जमीनों का नामान्तरण भंवरसिह के नाम पर खोला जाना न्यायोचित है जिससे हमें कोई आपत्ति नहीं है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 7 का जवाब हैं कि राजस्व रेकार्ड में नारायणसिंह के बजाए भंवरसिंह का नाम दर्ज होना चाहिए था।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 8 लगायत 13 कानूनी है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 14 प्रार्थना वादी है जो वादी भंवरसिंह मृतक नारायणसिंह का गोदपुत्र होने से नारायणसिंह के नाम दर्ज समस्त आराजियात का नामान्तरण वादी भंवरसिंह के नाम पर खोले जाने पर हम प्रतिवादीगण सभी सहमत है। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर नारायणसिंह के नाम दर्ज समस्त भूमियों का नामान्तरकरण वादी भंवरसिह के नाम पर खोले जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की जाती है।

वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् वादपत्र के समर्थन में अपने शपथ–पत्र पर बयान प्रस्तुत किये एवं प्रदर्श –1 जमाबंदी, प्रदर्श–2 मृत्यु प्रमाण –पत्र, प्रदर्श– 3 गोदनामा, प्रदर्श–4 प्रार्थना–पत्र तहसीलदार एवं प्रदर्श –5 शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं । उक्तानुसार वादी के पक्ष में कुल पांच दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये तथा वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादी के पक्ष में स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 ने जरिये जवाब वादत्र पत्र के सहमति जाहिर की व वाद वर्णित आराजियात को वादी के नाम पर दर्ज कर दी जावें या वादी को वाद वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जावें तो कोई आपत्ति नहीं जाहिर की।

मैंनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों अनुसार वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 अन्तर्गत धारा का यह न्यायालय वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझता है अतएवं–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या:– 122/2020 (2020/00379)
वाद– अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर.टी.ए.

–: आदेश :–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादी को राजस्व ग्राम सल्यावड़ी, पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी के खाता संख्या 190 पर अंकित आराजी संख्या 524 रकबा 1.84 हे0, 525 रकबा 0.26 हे0, 526 रकबा 0.14 हे0, 531 रकबा 0.15 हे0, 532 रकबा 0.35 हे0, 533 रकबा 0.64 हे0, 534 रकबा 0.90 हे0, 544 रकबा 0.24 हे0, 546 एकबा 0.62 हे0, 547 रकबा 0.54 हे0 कुल किता 10 योग रकबा 5.68 हे0 भूमि में से 13/42 वें हिस्से नारायण पिता सोहन सिंह के बजाए वादी भंवरसिंह गोदपुत्र नारायणसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नामान्तरण वादी के पक्ष में खोला जावें। तद्नुसार घोषणात्मक डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 6.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 122/2020 (2020/00379) दर्ज दिनांक 21.08.2020

वाद– अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. भंवरसिंह गोदपुत्र नारायणसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) वादी

बनाम

1. गुलाब कंवर पुत्री सोहनसिंह राजपूत पत्नी विजयसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवास रेवाड़ा तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़ (राज0)
2. नरपत कंवर पत्नि भंवरसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. पुष्पा कंवर पुत्री सोहनसिह राजपूत पत्नि भगवानसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवास रेवाड़ा तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़ (राज0)
4. फुल कंवर पुत्री सोहनसिंह राजपूत पत्नि नाहरसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवास रेवाड़ा तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़ (राज0)
5. रीता कंवर पुत्री बहादूरसिंह राजपूत पत्नि भंवरसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवास नारेला तहसील चितौडगढ़ जिला चितौड़गढ़ (राज0)
6. भंवर कंवर पुत्री बहादूरसिंह राजपूत पत्नि शंकरसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवास कुण्डालिया (भोपालपुरा) तहसील बस्सी जिला चितौड़गढ़ (राज0)
7. प्रेम कंवर पत्नि बहादूरसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. बालूसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. शिवसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. शंकरसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. लक्ष्मण कंवर पत्नि रायसिंह राजपूत निवासी बाघपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. गजराज कंवर पत्नि नारायणसिंह राजपूत निवासी हाथीपुरा (भगवानपुरा) तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा (राज0)
13. कृष्णा कंवरि पत्नि [illegible] राजपूत निवासी [illegible]राडिया (भगवानपुरा) तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा (राज0)
14. विष्णु कंवर पत्नि भवानीसिंह राजपूत निवासी मेहन्द्रगढ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीः–श्री गणपत राणवा
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः–श्री हेमन्द्र सुवालका
पेरोकार सरकार

डिक्री दिनांक 31.08.2020

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपत राणवा , अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 श्री हेमन्द्र सुवालका एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ––––×–––––– और इस वाद के खर्च लेखे ––––×–––––– रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ––––×–––––– प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ––––×–––––– द्वारा ––––×–––––– को दी जाए।

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादी को राजस्व ग्राम सल्यावड़ी, पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी के खाता संख्या 190 पर अंकित आराजी संख्या 524 रकबा 1.84 हे0, 525 रकबा 0.26 हे0, 526 रकबा 0.14 हे0, 531 रकबा 0.15 हे0, 532 रकबा 0.35 हे0, 533 रकबा 0.64 हे0, 534 रकबा 0.90 हे0, 544 रकबा 0.24 हे0, 546 रकबा 0.62 हे0, 547 रकबा 0.54 हे0 कुल किता 10 योग रकबा 5. 68 हे0 भूमि में से 13/42 वें हिस्से नारायण पिता सोहन सिंह के बजाए वादी भंवरसिंह गोदपुत्र नारायणसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नामान्तरण वादी के पक्ष में खोला जावें। तदनुसार घोषणात्मक डिक्री जारी हो।

खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

सहायक कलेक्टर पदेन
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर,भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर भीलवाड़ा(राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:10 IST
Reason: SelfAttested

2-

Scanned with CamScanner